मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2005

क्रमांक:एफ -9/3/2003/नियम/चार

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय - राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक:एफ -9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13अप्रैल, 2005.

-***-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1 जनवरी, 2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना के विस्तृत नियम बनाए जा रहे हैं । विस्तृत नियम जारी होने तक दिनांक 1 जनवरी, 2005 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए प्रस्तावित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों का अंशदान प्राप्त करने, शासन का अंशदान जमा करने एवं उसके लेखे के संधारण के लिए संदर्भित ज्ञाप दिनांक 13अप्रैल, 2005 के अनुसार अन्तरिम व्यवस्था लागू की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली योजना राज्य शासन के नियत्रंणाधीन ऐसे स्वशासी संस्थाओं / विश्वविद्यालयों / निगमों /मंडलों /सार्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगरीय निकायों जिनमें वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों के समान निश्चित लाभ पेंशन प्रणाली प्रचलित हैं, के दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को लागू की जाए । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफः 9/3/2003/नियम/चार , दिनांक 13अप्रैल, 2005 द्वारा जारी निर्देशों की प्रति संलग्न है ।

3/ इस संबंध में कृपया आपके अधीन कार्यरत स्वशासी संस्थाओं /विश्वविद्यालयों /निगमों / मंडलों सार्वजनिक उपक्रमों / विकास प्राधिकरणों / नगरीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी किये जाएं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुमित बोस)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

...ini//Crcu/05

वेतन देयक से कटौत्रा अंशदान दर्शाने वाला पत्रक

माह ------------------------

सेवा का लेखा शीर्ष ----------------------

जमा का लेखा शीर्ष : 8001 बीमा तथा पेंशन निधियां
106 अन्य बीमा तथा पेंशन निधि
(0004) शासकीय कर्मचारी
अंशदान पेंशन योजना, 2005

सरल क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम कर्मचारी के क्रमांक सहित	कर्मचारी से अंशदान
1	2	3

कार्यालय प्रमुख / आहरण संवितरण अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांकः एफ 9/3/2003/नियम/चार — भोपाल दिनांक 13 अप्रेल 2005

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव,राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा भोपाल।
3. निबंधक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री,मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश शासन ।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग(स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाअधिकारी)मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ,मंत्रालय भोपाल।
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष- 84, मंत्रालय,भोपाल ।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों ।
25. गार्ड फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी.वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

शाकेमुभो—100—असविवि—19-4-2005—1,000.